भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4468

जिसका उत्तर दिनांक 30.03.2022 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा में घरेलू निवेश

4468. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

श्रीमती भावना गवली :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) वर्तमान में, 6780 मेगावाट की क्षमता वाले बाईस (22) रिएक्टर प्रचालनरत हैं और 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले ग्यारह (11) रिएक्टर निर्माण/कमीशनन के विभिन्न चरणों में हैं (ग्रिड से जोड़े गए केएपीपी-3 (700 मेगावाट) और भाविनी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे पीएफबीआर सहित) । इसके अतिरिक्त, सरकार ने 7000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दस (10) रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है । नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण ऋण व सामान्य शेयर 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है । सामान्य शेयर का वित्तपोषण एनपीसीआईएल के आंतरिक स्रोतों एवं सरकारी बजट की सहायता से किया जाता है । घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम,

1962 में संशोधन किया है जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संयुक्त उद्यम संभव हो सके । एनपीसीआईएल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए गए हैं । जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपनाई गई सफल कार्यविधि के आधार पर प्रचालित रिएक्टरों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ।

(ग) तथा (घ) वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और संबद्ध अन्य सुविधाओं के लिए उपकरणों के विनिर्माण करने और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

(ङ) तथा (च) सरकार ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतापुर स्थल पर फ्रांस के सहयोग से प्रत्येक 1650 मेगावाट क्षमता के छह नाभिकीय विद्युत रिएक्टर स्थापित करने के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है ।

*****